

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(32)राज/वाद/08 पार्ट-5

जयपुर दिनांक. 27-9-19

:: आदेश ::

प्रशासनिक कारणों से निम्नानुसार कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम सं0 4 में वर्णित कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा किया जाता है:-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/ पदनाम	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार साहू, कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक, सं02, ब्यावर, जिला अजमेर।	अपर लोक अभियोजक संख्या 02, केकड़ी, जिला अजमेर।	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर
2	निशी स्वाल, कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक, झालावाड़।	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सं0 2 कोटा	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर
3	श्री हेमन्त कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक, सं016, जयपुर महानगर।	अपर लोक अभियोजक, लालसोट, जिला दौसा	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर

क्र0सं0 1 व 2 पर वर्णित कर्मचारियों का स्थानान्तरण स्वयं के प्रार्थना पत्र पर किये जाने के कारण इन्हें यात्राभत्ता एवं योगकाल देय नहीं है। क्रम संख्या-3 पर वर्णित कार्मिक को नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।

आज्ञा से


हैं

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय को उनके कार्यालय के डायरी क्रमांक 5312 दिनांक 19.09.19 के क्रम में।
3. संबंधित जिला कलक्टर, _____।
4. संबंधित कार्यालय _____।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
7. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित कर्मचारी _____।
9. रक्षित पत्रावली।


27/9/2019
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण